उ0 50 (U3) विविध -18/2016

बिहार सरकार
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय
(उद्योग विभाग)
आदेश

दिनांक– 07.08.2016 को ''राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस'' आयोजन संबंधी निदेशालय का आदेश ज्ञापांक–1244 दिनांक–03.08.2016 द्वारा विशिष्ट/आकर्षक उत्पादों की बिक्री हेतु स्टॉल आवंटन, प्रदर्शनी हेतु स्टॉल आवंटन, राज्य योजना से लाभान्वित लाभुक प्रतिभागियों को जिला से लाने एवं वापस ले जाने का आदेश दिया गया है। प्रदर्शनी हेतु मशीन उपकरण को आयोजन स्थल तक लाने एवं वापस ले जाने का मार्ग व्यय , प्रतिभागियों का आयोजन स्थल तक लाने एवं वापस ले जाने का मार्ग व्यय तथा आने–जाने के दौरान अल्पाहार,बैनर हेतु राशि व्यय की स्वीकृति संलग्न अनुसूची–''क'' के अनुसार दी जाती है। इस राशि का व्यय वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उद्योग निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष–2015–16 में प्रचार एवं प्रकाशन योजना की स्वीकृत राशि में से अवशेष राशि से किया जाएगा। इस राशि की प्रतिपूर्त्ति हस्तकरघा प्रक्षेत्र के अन्तर्गत प्रचार–प्रसार की योजना स्वीकृत कर की जाएगी।

संबंधित पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि राशि का व्यय नियमानुसार किया जाय। जिला से प्रतिभागियों को लाने एवं वापस ले जाने हेतु 50 सीट की क्षमता वाली बस को भाड़ा पर, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का दर/सरकारी दर पर, लिया जाय।

अनुपालन प्रतिवेदन एवं इस राशि का व्यय प्रतिवेदन के साथ मूल अभिश्रव संलग्न करते हुए दिनांक–17.08.2016 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

इस पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– /पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न अनुसूची– ''क'' के अनुसार संबंधित पदाधिकारियों को राशि आर0 टी0 जी0 एस0/चेक द्वारा उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1252 /पटना, दिनांक– 04/8/16
प्रतिलिपि– अनुसूची– ''क'' से संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/8/16
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

04.08.16

अनुसूची–क

"राष्ट्रीय हस्तरकघा दिवस" दिनांक–07.08.2016 के अवसर पर प्रदर्शनी हेतु मशीन उपकरण को आयोजन स्थल तक लाने एवं वापस ले जाने का मार्ग व्यय , प्रतिभागियों का आयोजन स्थल तक लाने एवं वापस ले जाने का मार्ग व्यय तथा आने–जाने के दौरान अल्पाहार ,बैनर हेतु राशि व्यय की स्वीकृति।

क0सं0	संबंधित पदाधिकारी	स्वीकृत राशि(रू0 में)
1.	महाप्रबंधक, जि0उ0के0, भागलपुर	60,000/–
2.	महाप्रबंधक, जि0उ0के0, बांका	31,500/–
3.	महाप्रबंधक, जि0उ0के0, गया	26,000/–
4.	महाप्रबंधक, जि0उ0के0, मधुबनी	23,000/–
5	महाप्रबंधक, जि0उ0के0, औरंगाबाद	17,000/–
6.	महाप्रबंधक, जि0उ0के0, नालन्दा	67,000/–
7.	महाप्रबंधक, जि0उ0के0, पटना	48,500/–
8.	जीविका	1,89,000/–
9.	अग्र परि0 पदा0, इनारावरण, कटोरिया, बांका–	15,000/–
10.	सहायक उद्योग निदेशक(रेशम),पूर्णिया–	15,000/–
11.	सहायक उद्योग निदेशक(रेशम),मुजफ्फरपुर	5,000/–
	कुल–	4,97,000/–

(चार लाख संतानवे हजार रू0)मात्र।

4/8/16

निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

04.08.16